राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि / नरेगा / मा.द. / 82614 / 2015 / पार्ट–III जयपुर, दिनांक : 25 APR 2016

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत आबादी क्षेत्र में जल संग्रहण स्ट्रक्चर / टांके बनाये जाने के संबन्ध में।**

संदर्भः– **विभागीय पत्रांक एफ1(2)ग्रावि / नरेगा / मा.द. / पार्ट / 2010 दिनांक 21.06.2011**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सामुदायिक एवं निजी भूमि पर पीने के पानी के लिए जल संग्रहण ढांचा बनाया जा सकता है। इस संदर्भ में विभाग द्वारा संदर्भित पत्रानुसार निर्देश जारी किये गये थे।

संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर लेख है कि दिए गए निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करावे।

भवदीय

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपिः

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर / बाडमेर।
3. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा योजना राजस्थान, समस्त।
4. रक्षित पत्रावली।

25/4/2016

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/माद/पार्ट4/2010 जयपुर, दिनांक 21 JUN 2011

जिला कलेक्टर एंव जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्षा जल संग्रहण स्ट्रक्चर/टांके बनाये जाने के संबन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने पत्रांक जे–11013/1/2007–MGNREGA(Vol.II) द्वारा अवगत कराया है कि सामुदायिक एवं निजी भूमि पर भी पीने के पानी के लिए जल संग्रहण ढांचा बनाया जा सकता है। इस संबन्ध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :–

1. महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 के पैरा 1 (iv) में वर्णित श्रेणी के परिवारों के आबादी में स्थित मकानों में भी व्यक्तिगत लाभार्थी के अन्तर्गत वर्षा जल संग्रहण ढांचा/टांका निर्माण कराया जा सकता है।
2. आबादी क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि पर जो कि पंचायतों के अधीन है, पर भी वर्षा जल संग्रहण ढांचा/टांका निर्माण जल संरक्षण एवं जल संचयन (अनुमत कार्यों की सूची की क्रम संख्या (i)) के अन्तर्गत कराया जा सकेगा।
3. उक्त निर्माण कार्यों पर महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की अन्य शर्तो की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

कृपया उक्तानुसार कार्य सम्पादित कराने का श्रम करें।

भवदीय

(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि :–
1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम/द्वितीय महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जयपुर/जोधपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे.एवं उप सचिव, ईजीएस

E:\backup_E_17feb\MUKESH VIJAYJ\EGS Letter V\Hindi Letter.doc6/17/2011